



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 973]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2019/फाल्गुन 10, 1940

No. 973]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2019/PHALGUNA 10, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2019

का.आ. 1107(अ).—यतः, मै. बीएसआर बिल्डर्स एलएलपी, ने तेलंगाना राज्य के रंगा रेडडी जिले के सेरिलिंगमपल्ली मंडल के गाँव नानकरामगुडा के सर्वे सं. 141 एवं 142 में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1.16 हेक्टेयर के क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अधिसूचना संख्या का.आ. 1132(अ) दिनांक 31 मार्च, 2017 द्वारा अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. बीएसआर बिल्डर्स एलएलपी ने अब 1.684 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा **1.684 हेक्टेयर** के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने के लिए अधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल **2.844 हेक्टेयर** हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएँ और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:—

अतिरिक्त क्षेत्र हेतु तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	नानकरामगुडा	135/पी	0.346
2.		138/पी	1.338
कुल			1.684
उपयुक्त जोड़ के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			2.844

[फा. सं. एफ. 1/7/2017-एसईजेड]

बी. बी. स्वेन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2019

S.O. 1107(E).—Whereas, M/s. BSR Builders LLP, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services (IT/ITES) at Sy. No. 141 & 142 Nanakramguda Village, Serilingampally Mandal, Ranga Reddy District, in the State of Telangana;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 1.16 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1132(E) dated 31st March, 2017;

AND, WHEREAS, M/s. BSR Builders LLP has now proposed to include an area of 1.684 hectares as a part of above Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies an additional area of **1.684 hectares**, as a part of above Special Economic Zone, thereby making total area of the Special Economic Zone as **2.844 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE FOR ADDITIONAL AREA

Sl.No.	Name of Village	Survey No.	Area in hectares
1.	Nanakramguda	135/P	0.346
2.		138/P	1.338
Total			1.684
Grand total area of SEZ after above addition			2.844

[F. No. F.1/7/2017-SEZ]

B. B. SWAIN, Addl. Secy.